अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक–27.04.2017 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में एवं दिनांक–28.04.2017 को माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य राजस्व पर्षद् बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– यथा पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं एवं अन्य पदाधिकारियों का स्वागत संबोधन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. **अंचलों की साप्ताहिक समीक्षाः**– अंचल कार्यालय की साप्ताहिक बैठक की इच्छा जतायी गयी, जो अंचलाधिकारी के स्तर पर प्रत्येक शुक्रवार को हो, ताकि समुचित रूप से लोगों को नैसर्गिक न्याय की प्राप्ति हो। बैठक में 534 अंचल में से 156 की मीटिंग का सारांश प्राप्त हुआ। उनमें से दो–तीन आईटम की ही चर्चा की गई है, जो उचित नहीं है।

(कार्रवाई– प्रशाखा–4 एवं सभी जिला)

2. **भू–हदबंदी एवं राजस्व वसूलीः**– अररिया का सिलिंग एक्ट से संबंधी रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण पायी गयी। अंचलाधिकारियों को पंचायत स्तर पर रिपोर्ट संग्रह करने का निर्देश दिया गया। उन्हें बताया गया कि राजस्व वसुली तथा लगान का रिपोर्ट सर्वोपरी है।

(कार्रवाई– प्रशाखा–8 एवं सभी जिला)

3. **अमीनों की नियुक्तिः**– अतिक्रमण के मामले में अमीन द्वारा गलत मापी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया जो राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। अमीन की कमी को देखते हुए बताया गया कि अमीन की नियुक्ति अगले तीन माह में विभागीय स्तर पर कर ली जायेगी। राजस्व कर्मचारी का मामला चूँकि न्यायालय में विचाराधीन है अतएव इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। इस संबंध में बी0सी0ई0सी से बात हो चुकी है। कैबिनेट के पश्चात् इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण लोग अमीन के पद पर नियुक्त होंगे। बाद में उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। पॉच पंचायत पर एक अमीन की नियुक्ति की जायेगी।

(कार्रवाई– प्रशाखा–4 एवं सभी जिला)

4. **भूमि दखल–दहानीः**– बैठक में भूदान यज्ञ कमिटी के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। उनके द्वारा पूर्व में दिये प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करने की मॉग उठायी गयी। साथ ही, दाखिल खारिज तथा दखल दहानी में होने वाले विलम्ब को शीघ्र दूर करने की मॉग की गई। इस संबंध में दरभंगा महाराज तथा हथुआ महाराज द्वारा 1950 में मौखिक रूप से लाखों एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि दान में दिये गये भूमि की चर्चा की गई, जिसकी उचित मान्यता नहीं है। भूदान यज्ञ एक्ट की धारा–10,11 एवं 14 के अनुसार उक्त मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति को भूमि बंदोवस्त करने की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई है। साथ ही, सेटलमेन्ट की धारा–7, 14 एवं 21 के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सर्वे के प्रकाशन के बाद का मामला नहीं सुना जायेगा। उन्हें सिविल कोर्ट जाना होगा। भूमि विवाद संबंधी मामले को क्लीयर करने की शक्ति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को है।

(कार्रवाई– प्रशाखा–7/8 एवं सभी जिला)

5. **विभागीय कार्यवाहीः**– विशेष सचिव द्वारा बताया गया कि श्री राजकुमार मिश्र, (सेवानिवृत्त, 2008) तत्कालीन अंचल निरीक्षक, सरायरंजन के विरूद्ध वर्ष 2012 से ही विभागीय कार्यवाही चली है, परन्तु संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर से

अधिगम प्राप्त नहीं है। इसके अलावा कुल 37 अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षक पर विभागीय कार्यवाही संचालित है, जिसमें संबंधित जिले के अपर समाहर्त्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। कुछ मामलों में आरोपी पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं। तीन मामले ट्रैप केस से भी संबंधित है। कई मामलों में कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिगम विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही तीन माह के अन्दर निष्पादित किया जाना है। संचालन पदाधिकारी यदि उक्त मामले में अनावश्यक विलम्ब करते हैं तो उनपर भी कार्रवाई की जा सकती है।

(कार्रवाई– निगरानी एवं सभी प्रमंडल तथा सभी जिला)

6. भू–हदबंदीः– श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, निदेशक, भू–अर्जन द्वारा राजस्व पर्षद् से प्राप्त सूची पर प्रकाश डाला गया। लैण्ड सीलिंग से संबंधित 147 केस थे जिसे राजस्व पर्षद् द्वारा निष्पादित कर दिया गया है। 57 सिलिंग के केस सरपलस से रिलेटेड हैं इसे जिला वाईज कर दिया गया है। सेक्शन–45 (बी) निरस्त कर दिया गया है। अररिया के दो मामले बालाजी प्रसाद एवं जगदीश पासवान का है इन सभी मामलों में डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई करनी है। लगान निर्धारण पर एक गाईड लाईन की आवश्यकता है। उप समाहर्त्ता को गाड़ी रखने का अधिकार दिया गया है। सी0ओ0 के रिक्त पद को एडजस्ट किया गया है।

7. राष्ट्रीय जनगणनाः– 2011 की जनगणना की बची हुई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कई जिलों के डी0सी0एल0आर0 के यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही, कई जिलों से 2015–16 एवं 2016–17 का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिली है।

इसी प्रकार 534 अंचल का कृषि गणना का फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया है। 20 प्रतिशत का सेकेन्ड फेज का काम 30 जून, 2017 तक करना है। जिला कृषि पदाधिकारी इसके अनुपालन पदाधिकारी हैं। 10वाँ कृषि गणना का काम चल रहा है। औरंगाबाद इस मामले में सबसे पहला जिला है।

(कार्रवाई– प्रशाखा–4 एवं सभी जिला)

8. प्रोन्नतिः– 84–85 सी0आई0 को सी0ओ0 में प्रोन्नति देने संबंधी कार्य चल रहा है।

(कार्रवाई– प्रशाखा–3 एवं सभी जिला)

9. सेवान्त लाभः– प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में होती है।

(कार्रवाई– प्रशाखा–3 एवं सभी जिला)

10. ए0सी0/डी0सी0 विपत्रः– 44 करोड़ रूपये का विपत्र भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, पटना, समस्तीपुर जिलों से नहीं प्राप्त हुआ है।

(कार्रवाई– प्रशाखा–5 एवं सभी जिला)

11. आंतरिक संसाधनः– वित्त मंत्री की अध्यक्षता में महीने में एक बार बैठक होती है। वसूली के कार्य की प्रगति बताना है।

(कार्रवाई– प्रशाखा–9 एवं सभी जिला)

12. <u>भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना</u> :–

(A) समीक्षा बैठक के क्रम में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना DILRMP के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों द्वारा क्रियान्वित भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना का कार्य शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

साथ ही भू–अभिलेखों से संबंधित आकड़ों को त्रुटिरहित करते हुए अद्यतन करने का भी निदेश दिया गया है।

(अनुपालन – सभी अपर समाहर्त्ता)

(B) केन्द्र प्रायोजित DILRMP योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशालय के पत्रांक–593 दिनांक 27.04.2017 का संदर्भ कराते हुए जानकारी उपलब्ध कराया गया कि राज्य के सभी जिलों के चयनित अंचलों (46) में डाटा इन्ट्री का कार्य शीघ्र प्रारंभ करते हुए विभिन्न नागरिक सुविधाएं जैसे ऑनलाई दाखिल खारिज, ऑनलाईन एल0पी0सी0 एवं ऑनलाईन लगान की प्रक्रिया दिनांक 15.06.2017 से 15.08.2017 के बीच प्रारंभ कर दिया जाए। इसके लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करते हुए डाटा इन्ट्री का कार्य पूरा कराया जाए।

(अनुपालन – सभी अपर समाहर्त्ता)

(C) उक्त कार्य को ससमय पूरा करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय आई0टी0 मैनेजर के साथ दिनांक 02.05.2017 को जिलों में अंचलाधिकारी, अंचलाधिकारी निरीक्षक, हल्का कर्मचारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के साथ बैठक आहुत कर ससमय जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्य योजना बनाने का निदेश संबंधित अपर समाहर्त्ता को दिया गया।

(अनुपालन – सभी अपर समाहर्त्ता)

(D) बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को पुनः यह जानकारी उपलब्ध कराया गया कि यदि डाटा इन्ट्री ऑपरेटर दक्ष हो, तो एक मौजा के सभी जमाबंदी का इन्ट्री कार्य मात्र तीन दिनों में पूरा किया जा सकता है।

(E) समीक्षा के क्रम में विभिन्न जिलों द्वारा कतिपय कठिनाईओं पर चर्चा किया गया, जिसका समाधान बैठक में उपस्थित विभागीय आई0टी0 मैनेजर के द्वारा मौके पर ही कर दिया गया।

13. <u>राजस्व मान चित्रों की आपूर्ति</u> :–

(A) जिलों के सदर अंचल कार्यालय से संबंधित जिला के सभी राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में A0 Size Plotter की आपूर्ति संबंधित एजेंसी द्वारा किया गया है।

(B) मानचित्र आपूर्ति प्रारंभ करने से संबंधित सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण/ यूजर मैनुअल ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा इसके संबंध में विस्तृत जानकारी जिला सूचना पदाधिकारी, NIC से भी प्राप्त किया जा सकताहै।

(अनुपालन – सभी अपर समाहर्त्ता)

(C) प्लॉटर आपूरित जिलों में से अबतक दरभंगा एवं मुजफ्फपुर से प्लॉटर अधिष्ठापन का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(अनुपालन – अपर समाहर्त्ता, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर)

(D) बैठक में प्रधान सचिव महोदय द्वारा नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अररिया, मुंगेर, सारण, पूर्णियाँ, भागलपुर, दरभंगा, प0 चम्पारण (बेतिया), गया, मुजफ्फरपुर एवं किशनगंज जिलों में आपूरित A0 Size Plotter का अधिष्ठापन शीघ्र कराते हुए संबंधित जिला के राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – संबंधित अपर समाहर्त्ता)

14. <u>डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार</u> :–

(A) केन्द्र प्रायोजित योजना DILRMP के अंतर्गत राज्य के सभी अंचल कार्यालयों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार, भवन का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है तथा आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति बेल्ट्रॉन, पटना के माध्यम रो कराया जा रहा है।

(B) बेल्ट्रॉन, पटना से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार राज्य के 145 डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार, भवन में आधुनिक उपकरणों/उपस्करों की आपूर्ति कर दी गई है। उक्त के सत्यापन हेतु निदेशालय के पत्रांक–595 दिनांक 30.03.2016 द्वारा जिलों/ अंचलों से सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई है, तो अबतक जिलों/ अंचलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

उक्त का प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए इन डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार को कार्यवाही बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन – सभी अपर समाहर्त्ता)

(कार्रवाई– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

15. अध्यक्ष, राजस्व पर्षद् द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं एवं अन्य पदाधिकारियों का स्वागत संबोधन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विषयों को लेकर जो वाद दायर किया जाते हैं उन सभी वादों की प्रगति की समीक्षा की जाय। सीलिंग संबंधित लम्बित मामले अपर सदस्य, श्री के0के0 पाठक के अथक प्रयास से निष्पादित कर दिया गया है। साथ ही, अन्य जो भी वाद दायर हो रहे हैं उसे ससमय पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि राजस्व पर्षद् राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। कई दशक पहले राजस्व पर्षद राज्य सरकार के गवर्नेंस को देखने वाला महत्वपूर्ण अवयव होता था। भू–राजस्व की महत्ता अब जरूर कम हुई किन्तु भूमि की नहीं। अतः गवर्नेंस तथा भूमि विवाद की ओर ध्यान देना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि भू–राजस्व प्रशासन अभी भी प्रांसगिक हैं। अतः उसे काफी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कुछ आकड़ो की ओर ध्यान देते हुए इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की कि राजस्व पदाधिकारी न्यायालीय कार्यो में अभिरूचि नहीं ले रहे है। कुछ–कुछ जिलों में लम्बित राजस्व वादों की स्थिति को देखकर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पदाधिकारी न्यागालय कार्य में ढिलाई बरतेंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि कतिपय वरीय पदाधिकारी इस बैठक में अनुपस्थित है जिसकी पूर्वानुमति भी संबंधित समाहर्ता द्वारा नहीं

प्राप्त की गई। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर खेद व्यक्त करते हुए सचिव एवं अपर सदस्य को निदेशित किया कि सभी समाहर्ताओं को उनकी ओर से एक पत्र जाए जिसमें यह स्पष्ट कर दिया जाए।

सचिव ने बताया कि नगर निकाय के चुनाव की वजह से कतिपय जिलों से पदाधिकारी नहीं आये हैं। जिलावार समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि कई जिलों से केवल डी0सी0एल0आर0 आये हैं।

राजस्व वादों के समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कई जिलों में भारी मात्रा में भू–राजस्व वाद लम्बित है। अधिकांश जिलों से प्रतिवेदन ससमय नहीं प्राप्त हुआ था। सुपौल एडीशनल कलक्टर के यहाँ 561 केस लम्बित है। साथ ही, म्यूटेशन के 172 केस हैं। 1600 म्यूटेशन से संबंधित केस सी0ओ0 के यहाँ लम्बित है। डी0सी0एल0आर0, त्रिवेणीगंज के यहाँ 206 म्यूटेशन के अपील के मामले लम्बित है। पूर्णियाँ में 38 केस छः महीने से ज्यादा के हैं। नगर निकाय के चुनाव की वजह से भागलपुर से अपर समाहर्त्ता, दरभंगा से डी0सी0एल0आर0, गया से प्रशाखा पदाधिकारी आये।

सचिव ने यह ध्यान दिलाया कि ना सिर्फ इन वादों के निष्पादन में तत्परता बरती जाए बल्कि disposal की quality पर भी ध्यान दिया जाए। यदि सभी अपर समाहर्ता अपने निम्न न्यायालयों का निरिक्षण करे तो यह पाएगें कि RTPS के चलते म्युटेशन वाद बहुत mechanical तरीके से निष्पादित कर दिए जाते है।। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अपर सदस्य, श्री के0के0 पाठक द्वारा काम में तेजी लाने की आवश्यकता बतायी गई। उनके द्वारा बताया गया कि भविष्य में राजस्व पर्षद् द्वारा प्रत्येक माह बैठक की जायेगी। साथ ही, कार्यों में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के प्रति कड़े निर्णय लिये जाने की बात की गई। उनके द्वारा सभी को गंभीरतापूर्वक मन लगाकर काम करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, अवकाश के दिनों में भी कोर्ट लगाकर लम्बित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। जितने भी लम्बित केस है उसे जल्दी–से–जल्दी डिस्पोजल करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि ये पहली और आखिरी बैठक नहीं है। यदि अगली बैठक में पदाधिकारी नहीं आयेंगे तो उसे गंभीरता से लिया जायेगा। अबतक राजस्व विभाग एवं राजस्व पर्षद् की बैठक एक साथ की जाती रही है। अब इस बैठक को अलग से करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमलोग जिला और प्रमंडल में जाकर भी बैठक करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि अपील के वाद सामान्यतः छः महीनें में निष्पादित कर दिए जाए और रिवीजन से संबंधित मामले दो माह में निष्पादित कर दिए जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सभी पदाधिकारी समय पर तथा नियमित रूप से न्यायालय करें और समय पर आदेश पारित करें। उन्होंने बताया कि सभी मुकदमों की जड़ जमाबंदी के स्तर से ही शुरू होती है। उन्होंने निर्देश दिया कि यथा संभव जो भी जजमेन्ट पास करें, स्थल की जॉच अवश्य करें। प्रयास यह है कि सभी आदेश merit के आधार पर किए जाए एवं कोई मुकदमा dismiss for default नहीं किया जाए।

अपर सदस्य महोदय ने आगे यह जानना चाहा कि pre-emption के मामलो की क्या प्रासंगिक्ता अब रह गई। Pre-emption की धारा 16(3) के तहत सालों साल अनावश्यक मुकदमे चलते रहते है। इसका मकसद अकसर आपसी दुश्मनी होती है। उन्होने यह जानना चाहा कि पदाधिकारी इस धारा के deletion के संबंध में क्या सोचते है। अधिकांश पदाधिकारियों ने धारा 16(3) के deletion के प्रस्ताव का समर्थन किया।

अपर सदस्य महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व वादों को तत्परता से निपटाया जाए तथा ceiling वादों में राजस्व पर्षद के आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अगर आदेश की प्रति नहीं प्राप्त हुई है तो उसे वेवसाईट से डाऊन लोड कर कार्यान्वित किया जाय।

अपर सदस्य ने Court of Wards Act की धारा 27 की ओर भी पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया और पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि अपने अपने जिलो में इस प्रकार के मामलों को चिन्हित करे तथा एतद् संबंधी प्रस्ताव राजस्व पर्षद में भेजे। नाबल्द लोगों के मरने के बाद वो जमीन सरकार हो जाती है। जबकि कई दूर के रिश्तेदार इस जमीन को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। नाबल्द जमीन के सर्वे की आवश्यकता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वंशावली के आधार पर इसकी जॉच की जाय। साथ ही, हिब्बानामा (Oral deed) की भी समुचित जॉच की जाय।

Board Miscellaneous Rules के संबंध में भी एक Feedback सभी जिलों से माँगा गया कि जो प्राप्त नहीं हुआ है। अपर सदस्य द्वारा यह अनुरोध किया गया कि सभी जिलें Board Miscellaneous Rules हेतु मागे गए Feedback को तत्काल राजस्व पर्षद भेजे ताकि राजस्व पर्षद यह तय कर सके कि Board Miscellaneous Rule का क्या करना है।

राजस्व पर्षद् के अपर सदस्य द्वारा कोर्ट केस के काम को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही, उन्होंने कहा कि विवादित भूमि के निष्पादन की संख्या पर न जाकर उसकी गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाय। साथ ही, बताया गया कि आगामी दो बैठक के बाद राजस्व पर्षद के पदाधिकारी क्षेत्र में जायेंगे तथा प्रमंडलीय स्तर पर बैठकें की जाएगी जिसमें अंचलाधिकारी को भी बुलायेंगे।

(कार्रवाई– राजस्व पर्षद बिहार,पटना सभी प्रमण्डल एवं सभी जिला)

बैठक के अंत में सभी अपर समाहर्त्ता को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0अ0स0(बैठक) कार्यवाही–43/2014–305 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक– 22-05-17

प्रतिलिपि–अध्यक्ष–सह–अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/श्री के0के0 पाठक, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।